

# न्यायालय- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जबलपुर (म0प्र0)

## आदेश

क्रमांक / ..... / सीजेएम / 20

जबलपुर, दिनांक-01.10.20

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03 से 05 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कौलम नम्बर दो में दर्शाये गए न्यायिक मजिठ नियत दिनांक पर अपने रताफ सहित दोपहर 03 से 05 बजे तक रतम को न्यायालय में उपस्थित होकर रतमी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जायेंगे, निष्पादित करें

क्रमांक	न्यायिक मजिठ का नाम	अवकाश दिनांक
01	02	03
1	श्रीमती पद्मिनी सिंह	02.10.20
2	सुश्री उदना सोनी	04.10.20
3	श्री विजय कुमार पांडे	11.10.20
4	श्री उमेश सोनी	17.10.20
5	श्रीमती शुभांगी धाली दाता	18.10.20
6	सुश्री निधि जैन	24.10.20
7	सुश्री रखाति राहौरा	25.10.20
8	श्रीमती प्रेरणा जैन	26.10.20
9	श्री मंजुल सिंह	27.10.20
10	सुश्री अंजली शाह	28.10.20
11	श्री राजेश यादव	29.10.20
12	सुश्री अकिता गुप्ता	30.10.20

सिहोरा न्यायालय	क्र.	नजिस्ट्रेट का नाम					
	01	श्री दिनेश कुमार प्रजापति	02.10.20	11.10.20	18.10.20	25.10.20	27.10.20
02	श्रीमती गृणालिनी सिंह	04.10.20	17.10.20	24.10.20	28.10.20	28.10.20	30.10.20

पाटन न्यायालय	क्र.	नजिस्ट्रेट का नाम				
	1	सुश्री उमिला यादव	04.10.20	17.10.20	27.10.20	30.10.20
2	श्री धनकुमार कोडोपा	02.10.20	18.10.20	26.10.20	28.10.20	
3	श्री आदिल अहमद खान	11.10.20	24.10.20	25.10.20	29.10.20	

- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नयी अवकाश तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त दिनांक को श्रीमती नीलिमा देवदत्त जेएमएफसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी यदि किन्हीं कारणवश श्रीमती नीलिमा देवदत्त जेएमएफसी जबलपुर में अवकाश पर रहती है तो श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी।
- रिमाण्ड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी जिस दिनांक को, की जाती है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को दे।

(वरुण पुनारी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

### प्रतिलिपि-

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- श्री ..... न्यायमजिठ प्रथम श्रेणी सिहोरा/पाटन/जबलपुर।
- जिला नजिर जबलपुर।
- सचिव, जिला अधिवक्ता संध, जबलपुर
- सचिव, (हसील अधिवक्ता संध, पाटन/सिहोरा जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वरुण पुनारी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट